

# इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक :143 / प्र०३०—भवन / जोन-१ / २०१२—१३ दिनांक २९/०१/२०१३

## अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ०प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम १९७३ की धारा १४ व १५ के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर रीटेल आउट-लेट का मानचित्र (**Modernization**) स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री राजेश सिंह, प्रबन्धक, इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा आराजी संख्या-७९३/१ मौजा-बेगम बाजार, इलाहाबाद जोन संख्या (१) के अन्तर्गत दाखिल रीटेल आउट-लेट मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निर्माणकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

१. उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा १५ (१) के प्रविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि २००८ में उपविधि संख्या-२.१.८ एवं ३.१.८ में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
२. यह स्वीकृति अन्तिम (**Provisional**) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक **Mandatory Clearances/N.O.C** की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
३. स्थल पर ४X३ फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
४. स्थल पर बन-नीति के अनुसार वृक्ष-रोपण करना आवश्यक है।
५. स्थल का उपयोग/अधिभोग स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही करना होगा, अन्यथा की स्थित में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
६. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी इलाहाबाद की अनापत्ति दिनांक २२.०१.२०१३ में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः पालन करना होगा तथा अन्तिम अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
७. स्थल पर रेनवाटर हार्डस्टिंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कर भू-गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
८. स्थल पर समस्त आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
९. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की रिक्ति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
१०. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा १५ (९) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
११. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भूखण्डों का उप-विभाजन अथवा पार्क एवं रोड इत्यादि का अतिक्रमण विकासकर्ता द्वारा किया जाता है तो इ०विं०प्र० द्वारा नियमानुसार उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
१२. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर १५ दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
१३. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम १९५६ (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स १९६५) नियम ८२ का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
१४. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
१५. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा २७ (१) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

✓ इस मिया द्वारा पार्क  
०१/११/२०१३  
३०/११/२०१३  
९६४८९३२०५

(गुडाकेश शर्मा)  
संयुक्त सचिव/प्र०३०—भवन  
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,  
इलाहाबाद

INDIAN OIL CORPORATION LIMITED		MARKETING DIVISION	
LAY-OUT PLAN OF RETAIL OUTLET NO. G.T. ROAD NEERAZ KM STONE NO 186 AT BEGUM BAZAR A NO. 1793 MUMBAI BAMRAULI UPERHAR TEHSEEL-SADAR) DIST. ALLAHABAD		OWNER - MR. PRAKASH SHARMA SANTO PRakash NO. 10, COMMERCIAL HANUMAN SHRI LOK MANDIR BHAWAN MUMBAI 400 001	
SAMPLE 1/20		NAME (S) <i>[Signature]</i>	
DRAWING NO. 100 / 66 / 252A DRAFTED ON 10-12-1981 BY [Signature]		SHEET NO. 100 / 100 REV. - RD SORSIN	